2013 (2) एस. सी. आर. पृष्ठ 331

देबब्रत दास एवं अन्य

बनाम

जतिन्द्र प्रसाद दास एवं अन्य

(दीवानी अपील संख्या- 2316/2013)

निर्णय तिथि-मार्च 11, सन् 2013

(आर. एम. लोढा, जे. चेलमेश्वर एवं मदन बी. लोकुर, जे.जे.)

उड़ीसा न्यायिक सेवा (विशेष योजना) नियम 2001

नियम- 03, 04, 05 एवं 07 - उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) सदस्य-11 वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में गठित त्वरित न्यायालयों में तदर्थ/अस्थाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति-ऐसी नियुक्ति के आधार पर उड़ीसा न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में पदोन्नति हेतु दावा- अभिनिर्धारित- संधारण योग्य नहीं, -उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में पदो के अभाव में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त प्रदत्त नही की जा सकती है- नियुक्ति की तिथि अथवा कार्यग्रहण तिथि को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदो का अनुपलब्धता- तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नति/पदस्थापन वर्ष-2001 की नियमावली से अधिनियमित सन् 1963 के नियमों से नहीं-अधिकारीगण को सही रूप से लाभ प्रदत्त कर, पदरिक्त/उपलब्ध होने की तिथि से वरिष्ठ शाखा संवर्ग के प्रदत्त किये गये-उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1963

हस्तगत अपील उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के दो सीधी भर्ती (अधिवक्ता श्रेणी) अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत कर, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या-01 (याचिकाकर्ता) की याचिका को स्वीकार किया गया है, उच्च न्यायालय को प्रशासनिक रूप से याची की तदर्थ अति. जिला न्यायाधीश की (त्वरित न्यायालय) सेवावधि को वरिष्ठता निर्धारण हेतु कार्यग्रहण तिथि से व्यवहरित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। न्यायालय के निर्धारण योग्य बिन्दु-"क्या याची का नोटिफिकेशन दिनांक-05.01.2002 के माध्यम तदर्थ अति0 जिला न्यायाधीश के रूप में उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में, 11 वें वित्त आयोग की अनुशंषा में स्थापित त्वरित न्यायालयों में पदस्थापन की समयावधि संकलन के कारण विधिक पदस्थापन है?''

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारण किया: 1.1 यह विवादित नही है कि याची उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में तदर्थ पदोन्नति से पूर्व त्वरित न्यायालय में पदस्थापित था एवं याची उच्चतर न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा का अधिकारी था। यह भी विवादित नही है कि दिनांक-05.01.2002 (याची की पदोन्नति की तिथि) एवं दिनांक-26.04.2002 (पदभार ग्रहण की तिथि) को कोई सेवा संवर्ग की रिक्ति उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1963

के तहत उपलब्ध नही थी। उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने योग्य कोई रिक्ति उपलब्ध नही थी-इस प्रकार रिक्ति के अभाव में कोई पदोन्नति नही की जा सकती है। (चरण संख्या-32-33) (346-जी-एच, 348-डी)

1.2 यहाँ यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि 11 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उडीसा न्यायिक सेवा (विशेष योजना) नियम-2001 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश त्वरित न्यायालयों के 72 पद सृजित किये गये थे। ये नियम उडीसा राज्य में न्यायिक अधिकारीगणो की पूर्णत अस्थाई सेवा को विनियमित करने के लिये, 11 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने एवं पुराने प्रकरणो के निस्तारण तथा न्यायिक प्रक्रिया को उन्नयन करने के उद्देश्य से बनाया गया था। नियम 03 एवं 04 यह स्पष्टतः वर्णित करता है कि 2001 के नियमों के तहत पदस्थापन पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थाई मात्र योजना के क्रियान्वयन के लिये है। नियम-07 के अनुसार सेवारत न्यायिक अधिकारीगण इस आधार पर नियमित सेवा संवर्ग में कोई नियमित पदोन्नति योजना अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। (चरण संख्या-32 एवं 35) (346-एच, 347-ए, 348 जी-एच, 349 ए, बी, ई)

1.3 याची की अधिसूचना दिनांक-05.01.2002 के माध्यम से तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति, जिसके अनुक्रम में याची

द्वारा दिनांक-26.04.2002 को पदभार ग्रहण किया गया था, पूर्णतः नियम 2001 से प्रशासित है, 1963 के नियमों से नही। इस साधारण कारण से यह परिणाामित है कि उक्त तिथि को उडीसा न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु कोई रिक्ति उपलब्ध नही थी। इस कारण से ही याची को उपयुक्तता के आधार पर 1963 के नियमो के मानको की पालना पर समाहित किया गया था। यह नही कहा जा सकता है कि उसे तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियम, 1963 के तहत पदस्थापित किया गया है। (चरण-36 एवं 43)(349-एफ-एच, 353 डी-ई)

सीधी भर्ती द्वितीय श्रेणी अभियंता अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 1990(2) एस.सी.आर. 900-(1990) 2 एस.सी.सी. 715- संदर्भित योग्य

ओ.पी. सिंघला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1985(1) एस.सी.आर. 351-(1984)4 एस.सी.सी. 450, रूद्र कुमार सैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 2000(2) पूरक एस.सी.आर. 573-(2000) 8 एस.सी. 25, बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य 2002 (3) एस.सी.आर. 810-(2002) 5 एस.सी.सी. 1 (बृज मोहन लाल-1) एवं बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य 2012 (5) एस.सी.आर. 305-2012 (6) एस.सी.सी. 502 (बृज मोहन लाल-2) एस.बी. पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977 (3) एस.सी.आर. 775-1977 (3) एस.सी.सी. 3999, एवं बालेश्वर दास बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, 1981 (1) एस.सी.आर. 449-1980 (4) एस.सी.सी. 226- प्रयुक्त

1.4 दिनांक 05.01.2002 अथवा दिनांक-26.04.2002 को उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में कोई भी रिक्ति पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने योग्य उपलब्ध नही थी। इस प्रकार की रिक्ति सेवा की वरिष्ठ शाखा में दिनांक-15.12.2003 को उपलब्ध थी, जिससे याचिकाकर्ता को त्वरित न्यायालयो की सेवा अवधि के क्रम में सेवा परिलाभ प्रदत्त किये गये हैं। (चरण संख्या-51) (356-एफ-जी)

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

1985 (1) एस.सी.आर. 351	प्रयुक्त	चरण संख्या-04
1990 (2) एस.सी.आर. 900	संदर्भित योग्य	चरण संख्या-04
2000 (2) पूरक एस.सी.आर. 873	प्रयुक्त	चरण संख्या-04
2002 (3) एस.सी.आर. 810	प्रयुक्त	चरण संख्या-04
2012 (5) एस.सी.आर. 305	प्रयुक्त	चरण संख्या-04
1977 (3) एस.सी.आर. 775	प्रयुक्त	चरण संख्या-04
1981 (1) एस.सी.आर. 449	प्रयुक्त	चरण संख्या-04

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2316/2013

उडीसा उच्च न्यायालय, कटक द्वारा सिविल याचिका संख्या 21449/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.11.2011 से उत्पन्न।

गोपाल सुब्रमण्डयम, अशोक कुमार परिजा, आर.एम. पटनायक, आनन्द वर्मा, धनंजय मिश्रा, गौरव केजरीवाल, अपीलार्थी की ओर से।

पी.एस. पटवालिया, अजय सिंह, अशोक कुमार महाजन, कीर्ति रेणु मिश्रा, अपूर्व उपमन्यु, सिबो शंकर मिश्रा, अदभूत पाठक, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का आदेश इनके द्वारा दिया गया-

आर.एम. लोढा, न्यायाधिपति. 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-एक के मध्य उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में वरीयता का बिन्दु इस अपील का विवाद-केन्द्र है।

3. प्रत्यर्थी संख्या-एक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट-याचिका का मुख्य प्रश्न विचारण योग्य था कि- ''क्या याची द्वारा त्वरित न्यायालय में अति0 जिला न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त की गई सेवावधि को, याची की वरिष्ठता निर्धारण हेतु, नियमतिकरण के उपरांत, उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) नियम, 1963 (संक्षेपतः- 1963 नियम) के अनुरूप अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक-15.11.2011 के माध्यम से इस बिन्दु का

सकारात्मक उत्तर, याची के हक में प्रसारित किया है एवं रिट याचिका स्वीकार कर उड़ीसा उच्च न्यायालय को प्रशासनिक रूप से याची की त्वरित न्यायालय की सेवावधि को वरिष्ठता निर्धारण हेतु पदस्थापन तिथि यथा-26.04.2002 संगठित कर, पुनः निर्णय के प्रकाश में वरिष्ठता निर्धारण हेतु आदेशित किया है।

4. अपीलार्थी सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुए थे, जो रिट याचिका में उत्तरदाता संख्या-03 एवं 04 के रूप में संयोजित थे, के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को मुख्यतः इस आधार चुनौती दी गई है कि आक्षेपित निर्णय नियम 1963, उड़ीसा न्यायिक सेवा (विशेष योजना) नियम-2001 एवं उड़ीसा उच्चतर न्यायिक सेवा तथा उड़ीसा न्यायिक सेवा नियम 2007 के अनुरूप नहीं है। अपीलार्थीगण का कथन है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों का ओ.पी. सिंगला एवं अन्य बनाम भारत संघ[1], द्वितीय श्रेणी सीधी भर्ती अभियंता अधिकारी संघ एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य[2], रूद्र कुमार सैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य[3], ब्रजमोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य[4] (बृजमोहन लाल-1), बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ एवं अन्य[5] (बृजमोहन लाल-2) का सही अनुप्रयोगन नही किया गया है।

5. विवाद के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैः-याचिकाकर्ता द्वारा उड़ीसा राज्य की न्यायिक सेवा में परीवीक्षा मुंसिफ के रूप में दिनांक-

15.07.1981 को उडीसा न्यायिक सेवा नियम, 1964 के तहत पदभार ग्रहण किया था। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता को कनिष्ठ शाखा की उच्चतर न्यायिक सेवा में दिनांक-19.07.1999 को पदोन्नत किया गया था। दिनांक-05.01.2002 को याचिकाकर्ता, जो कि उच्चतर न्यायिक सेववा (कनिष्ठ शाखा) में पदस्थापित था, को तदर्थ रूप में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में त्वरित न्यायालयों में आदेश दिनांक-11.04.2002 के अनुक्रम में पदस्थापित किया गया था एवं तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में बारगढ की त्वरित न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक-26.04.2002 को पदभार ग्रहण किया गया था।

6. दिनांक-13.01.2003 को अपीलार्थीगण उडीसा न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्ष-1963 के नियमों के तहत पदस्थापित हुए थे। पदस्थापन आदेश दिनांक-22.01.2003 के अनुक्रम में अपीलार्थीगण अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में क्रमानुसार दिनांक-03.02.2003 एवं 07.02.2003 को कटक एवं बहरामपुर में पदस्थापित हुए थे।

7. आदेश दिनांक-28.05.2003 के माध्यम से याचिकाकर्ता का तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) बहरागढ का कार्यकाल एक वर्ष के लिये अथवा 31.03.2004 (जो भी पहले हो) की अवधि हेतु विस्तीर्ण किया गया था।

8. अधिसूचना दिनांक-15.12.2003 के अनुसार याचिकाकर्ता को उडीसा न्यायिक सेवा की उच्चतर शाखा में नियमित तौर पर एक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण दिनांक-31.07.2003 को पदस्थापित किया गया था एवं याचिकाकर्ता इस अनुरूप दिनांक-19.01.2004 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहरागढ के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके अनुक्रम में दिनांक-03.02.2004 को पदभार ग्रहण किया गया था।

9. अपीलार्थी संख्या-01 उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में दिनांक-03.02.2004 को एवं अपीलार्थी संख्या-02 दिनांक-07.02.2004 को स्थायी किया गया था। अपीलार्थीगण को चयनित श्रेणी में दिनांक-03.02.2008 एवं दिनांक-07.02.2008 को पदस्थापित किया गया था।

10. याचिकाकर्ता को दिनांक-17.01.2007 को आधिकारिक रूप से जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया गया था एवं याचिकाकर्ता को दिनांक-22.10.2009 से चयनित श्रेणी वेतनमान प्रदत्त किया गया था।

11. दिनांक-13.11.2009 को याचिकाकर्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय को प्रशासनिक रूप से प्रस्तुत कर जिला न्यायाधीश संवर्ग में दिनांक-26.04.2002 यथा तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदभार ग्रहण तिथि से वरिष्ठता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा अपीलार्थीगण से ऊपर वरियता निश्चित किये जाने हेतु स्वंय का आधार तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की सेवा अवधि को वरिष्ठता

निर्धारित किये जाने हेतु उपयोगित किये जाने बाबत वर्णित किया गया है तथा इस संदर्भ में उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1963 को अवलम्बित किया है।

12. याचिकाकर्ता के प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा बहुमत से याचिकाकर्ता के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत किये जाने बाबत राय वर्णित की थी। दिनांक-02.08.2011 को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा संबंधित समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया एवं याचिकाकर्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक-08.08.2011 को अस्वीकृत कर दिया गया था। यह उच्च न्यायालय का प्रशासनिक निर्णय था, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक रूप से चुनौती दी गई थी।

13. प्रस्तुत रिट याचिका को अपीलार्थीगण, उच्च न्यायालय, उडीसा सरकार द्वारा विरोधित किया गया था।

14. प्रकरण से संबंधित नियमावली को संदर्भित किये जाने से पूर्व यह न्यायालय विभिन्न संबंधित संदर्भित याचिकाकर्ता एवं अपीलार्थीगण के पदस्थापन से संबंधित अधिसूचनाओं को उल्लेखित किया जाना समुचित पाता है। यथा उपरोक्त वर्णानुसार अधिसूचना दिनांक-05.01.2002 के माध्यम से याचिकाकर्ता को तदर्थ रूप से न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में

पदस्थापित किया गया था। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना निम्नांकित प्रकार से हैः-

"उड़ीसा राज्य सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

भुवनेश्वर 05 जनवरी 2002

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

संख्या-993/जतिन्द्र शाह, उडीसा न्यायिक सेवा अधिकारी (कनिष्ठ शाखा) हाल पदस्थापित सलाहकार, उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग, उड़ीसा, भुवनेश्वर को तदर्थ रूप से उपरोक्त सेवा की वरिष्ठ शाखा में वेतनमान 10,650-325-15850 पदोन्नति की अनुमति पदभार ग्रहण करने की तिथि से है। संबंधित का पदस्थापन नियम-03, 04, 05 उडीसा न्यायिक सेवा (विशेष योजना) नियम, 2001 के अनुरूप 11वें वित्त आयोग के तहत संस्थापित त्वरित न्यायालयों के तदर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में आदेशित की गई है।"

15. अधिसूचना दिनांक-11.04.2002 के माध्यम से याचिकाकर्ता को तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में अधिसूचना दिनांक-15.04.2002 के माध्यम से नियुक्त किया गया था, इस प्रकार हैः-

"उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक

अधिसूचना

दिनांक-11 अप्रेल 2002 कटक

संख्या-150/ए वरिष्ठता की सामान्य शाखा में वापिस आने पर श्री जतिन्द्र प्रसाद दास, उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) हाल पदस्थापित सलाहकार, उडीसा विद्युत नियामक आयोग, भुवनेश्वर, जिन्हे पहले वरिष्ठ शाखा में तदर्थ रूप से गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-1933 दिनांक-05.01.2002 के माध्यम से स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया गया था, को पुनः 11 वें वित्त आयोग की अनुशंषा में स्थापित तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में सत्र खण्ड, सम्बलपुर, बेरागढ, देवगढ, झारसूगुढा, मुख्यालय बेरागढ में श्री सुशांत कुमार पटनायक के स्थान पर पदोन्नति के उपरांत स्थानान्तरित किया जाता है।"

16. अपीलार्थीगण को सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में अधिसूचना दिनांक-13.01.2003 के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जो निम्नांकित प्रकार से हैः-

"उड़ीसा राज्य सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

भुवनेश्वर 13 जनवरी 2003

संख्या-2495/एस.जे.एस./1-30/2002/एच.एस. उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1963 के नियम-08 के तहत श्री देबब्रत दास, अधिवक्ता मयूरभंज बारीपदा को इस आदेश के माध्यम से अस्थायी रूप से परीविक्षक के रूप में एक वर्ष की अवधि हेतु उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के वेतन श्रृंखला 10610-335-15850 में सीधी भर्ती के माध्यम से पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

संख्या-2495/एच.एस. उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1963 के नियम-08 के तहत श्री शत्रुघना, फूजाहारी, अधिवक्ता सम्बलपुर को इस आदेश के माध्यम से अस्थायी रूप से परिवीक्षक के रूप में एक वर्ष की अवधि हेतु उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के वेतन श्रृंखला 10610-335-15850/- में सीधी भर्ती के माध्यम से पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है।"

17. इस स्तर पर हम संदर्भित नियमावली को उल्लेखित कर सकते है। वर्ष-1963 की नियमावली उडीसा राज्य के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा के नियमितकरण, भर्ती, सेवा शर्तो एवं व्यक्तियों के पदस्थापन हेतु विनियमित किया गया था।

18. नियम-03 (डी) के अनुसार सेवा का तात्पर्य उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा है। नियम-08 के तहत पदस्थापित अधिकारी सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में नियम-03 (एफ) के अनुसार सम्बोधित है, जबकि नियम-09 के अनुरूप पदस्थापित अधिकारी पदोन्नत अधिकारी के रूप में नियम-03(जी) के अनुसार परिभाषित है।

19. नियम-04 में यह प्रावधान है कि सेवा संवर्ग में दो शाखाऐं सम्मिलित हैं- (1) उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) और (2) उच्च न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा)। उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के संवर्ग में विभिन्न संवर्ग यथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्मिलित है। नियम-04(3) यह प्रावधान करता है कि उच्चतर न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) में 13 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं 06 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सम्मिलित होंगे।

20. नियम 1963 भाग-03 जो भर्ती से संबंधित है, इस विवाद हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु है। नियम-05 इस संदर्भ में निम्नांकित प्रावधान वर्णित करता हैः-

> "नियम 05- सेवा में भर्तियां निम्नांकित माध्यमों से की जावेंगीः-
>
> (1) वरिष्ठ शाखा के संदर्भ में-

(ए) नियम-08 के अनुरूप सीधी भर्ती के माध्यम से एवं

(बी) कनिष्ठ शाखा के सेवारत अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से

(2) उडीसा न्यायिक सेवा (वर्ग-01) के अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा कनिष्ठ शाखा के संबंध में नियम-10 के अनुसार।"

21. नियम-07 राज्य सरकार को वरिष्ठ शाखा की रिक्तियों को उच्च न्यायालय से परामर्श के उपरांत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु सक्षम बनाता है, जो निम्नांकित प्रकार से हैः-

"नियम 07- सेवा की वरिष्ठ शाखा में रिक्ति उपलब्ध होने पर सरकार भर्ती हेतु उच्च न्यायालय के परामर्श के उपरांत सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु निर्णय लेगी।

परन्तु सेवा की वरिष्ठ शाखा में सीधी भर्ती अधिकारियों की संख्या कुल कैडर पदो के 25 प्रतिशत से अधिक उपनियम-02 नियम-04 के अनुरूप नही होगी।"

22. नियम-09 निम्नांकित प्रकार से हैः-

"नियम 09- (1) जबकि सेवा की वरिष्ठ शाखा में रिक्ति को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना निश्चित हुआ है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से सम्यक परामर्श के उपरांत उच्च न्यायालय की राय के अनुसार उपनियम-02 के अनुरूप अभिशंषा के उपरांत भर सकेगी।

(2) इस हेतु उच्च न्यायालय सेवा की कनिष्ठ शाखा के अधिकारीगण में से मुक्त उपयुक्त अधिकारीगण को उच्च न्यायालय की राय के अनुरूप अभिशंषित करेगा।

परन्तु समुचित कारणो की उपस्थिति पर यदि राज्य सरकार प्रेषित अभिशंषा को स्वीकार करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार उन रिक्तियों की परिपूर्ति हेतु उच्च न्यायालय से अन्य अभिशंषा प्राप्त कर सकती है।"

23. नियम-17 अधिकारीगण की वरियता के संबंध में निम्नांकित प्रावधान वर्णित करती हैः-

"नियम-17- अधिकारीगण की वरिष्ठता सेवा में तात्विक पदस्थापन की तिथि के अनुरूप निर्धारित की जावेगी।

परन्तु एक पदोन्नत अधिकारी, जिसे पूर्विक तिथि से निरतंर कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी, यदि

उसे उसी पद पर पश्चातवर्ती रूप से बिना मूल सेवा में अवनत किये पदस्थापित किया गया है, सीधी भर्ती के अधिकारी के ऊपर वरिष्ठता प्राप्त करेगा।"

24. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 सपठित अनुच्छेद-233 एवं 234 के अनुरूप उडीसा राज्य के राज्यपाल द्वारा उडीसा उच्च न्यायालय के परामर्श के उपरांत उडीसा न्यायिक सेवा (विशेष योजना) नियम, 2001 अधिनियमित किये गये हैं, जिन्हें निर्णय में 2001 के नियम के रूप में परिभषित किया जा रहा है। 2001 के नियम न्यायिक अधिकारीगण की भर्ती को नियमित करने के उद्देश्य से, 11 वें वित्त आयोग द्वारा न्यायिक प्रशासन के उन्नयन एवं पुरातन प्रकरणो के निस्तारण हेतु विरचित किये गये थे। 2001 के नियम-02(एफ) के अनुरूप सेवा का तात्पर्य उडीसा राज्य की न्यायिक सेवा है। नियम-03 एवं 04 पदस्थापन के विषयगत प्रावधान करता है, जो निम्नांकित प्रकार हैः-

"नियम-03- उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1963 एवं उडीसा न्यायिक सेवा नियम, 1994 में वर्णित किसी भी निहिती के उपरांत तदर्थ रूप से नियुक्त अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश पूर्णतः योजना के क्रियान्वयन हेतु इस नियम के अधीन अस्थायी होंगे।

नियम-04 (1) इस नियम के तहत पदस्थापन पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी रूप में होगा।

(2) प्रारम्भिंक रूप से पदस्थापन मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगा, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी समय समाप्त किया जा सकता है।

(3) पदस्थापनकाल में पदस्थापित अधिकारी पूर्णतः उच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा।"

25. 2001 का नियम-05 योग्यता के संदर्भ में प्रावधान वर्णित करता है।

"नियम-05 उपनियम-03 का खण्ड-सी इस हेतु प्रासंगिक है, जो निम्नांकित प्रकार से हैः-

नियम-05 अहर्ता-(1) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थायी रूप से राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंषा के आधार पर निम्नांकित में से की जावेगी-

(ए) xxx xxx xxx

(बी) xxx xxx xxx

(सी) सेवारत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिनके द्वारा तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किया गया है।"

26. वर्ष-2001 के नियम-06 के अनुसार सेवाधीन न्यायिक अधिकारियों का इस योजना के तहत पदस्थापन न्यायिक निर्णयों के परीक्षण एवं उनके सेवा अभिलेख के अनुसार पूर्णतः अस्थायी तौर पर किया जावेगा।

27. 2001 का नियम-07 यह प्रावधानित करता है कि सेवाधीन न्यायिक अधिकारीगण स्वंय के इस योजना के अधीन पदस्थापन के आधार पर नियमित तौर पर पदोन्नति का दावा नही करेंगे।

28. खण्डपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय में यह वर्णित किया गया है कि याचिकाकर्ता की उडीसा न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा मे प्रारम्भिंक पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी थी, किन्तु उसे यह पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा उसकी उपयुक्ता के परीक्षण के उपरांत 1963 के नियमों के अधीन प्रदान की गई थी। खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया कि उक्त पदोन्नति अधिसूचना दिनांक-15.12.2003 के माध्यम से 1963 के नियमों के अनुरूप याचिकाकर्ता द्वारा अबाधित रूप से संपादित की गई सेवा के अनुक्रम में प्रदान की गई थी। इस संदर्भ में खण्डपीठ द्वारा पूर्ण पीठ की बैठक दिनांक-14.12.2001 एजेण्डा संख्या-03 के अभिलेख को संज्ञान में

लिया गया है, जिसके अनुसार कनिष्ठ शाखा के अधिकारीगण को वरिष्ठ शाखा में तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाना था। दिनांक-14.12.2001 के संदर्भित एवं निर्दिष्ट कार्यवृत का प्रासंगिक भाग निम्नांकित प्रकार है-

> "उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) से उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)(वरिष्ठ शाखा) में पदोन्नति हेतु निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण की न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं को गोपनीय प्रतिवेदन के साथ विचारित किया गयाः-
>
> 1. श्री जी.आर. पुरोहित, सचिव, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कटक।
>
> 2. श्री एम.के. पाण्डा, उप सचिव, उडीसा विधिक सेवा प्राधिकरण, कटक।
>
> 3. श्री जे.पी.दास, सलाहकार, उडीसा विद्युत नियामक आयोग, भुवनेश्वर।
>
> यह पारित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित तीनो अधिकारीगण उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये है एवं इस अनुरूप तीनो

अधिकारीगण के नाम राज्य सरकार को उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में त्वरित न्यायलयों में तदर्थ नियुक्ति हेतु अनुशंषित किये जाते है।“

29. इस प्रकार खण्डपीठ ने यह पाया कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति का विषय अन्य दो अधिकारीगण के साथ पूर्ण पीठ द्वारा उनकी न्यायिक एवं प्रशासनिक योग्यताओं, गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर विमर्शित किया गया था एवं तत्पश्चात् याचिकाकर्ता का नाम राज्य सरकार को सेवा की वरिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु अनुशंषित किया गया था एवं यह पदोन्नति केवल 1963 के नियमों के तहत की जा सकने योग्य थी। खण्डपीठ की राय के अनुसार पूर्ण पीठ के निर्णय दिनांक-14.12.2001 के उपरांत कोई असंदिग्धता शेष नही है कि याचिकाकर्ता को 1963 के नियमों के तहत सेवा की वरिष्ठ शाखा में पदोन्नत किया गया था एवं याची की तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति को वर्ष 2001 के नियमों के अनुरूप नही माना जा सकता है। खण्डपीठ द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु दिनांक-26.04.2002 की तिथि को प्रसंज्ञानित किया जाना आवश्यक है, जबकि याची द्वारा उस सेवा में पदभार ग्रहण किया गया था, जिसे पश्चातवर्ती रूप से पदोन्नति हेतु नियमितीकरण के पश्चात विचारित किया गया था, जिस तिथि को याची को नियमित किया गया था।

30. प्रश्नगत निर्णय में खण्डपीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक स्तर पर बृजमोहन लाल[4] के निर्णय में प्रसारित विधिक व्यवस्था की अनदेखी कर विचार व्यक्त किया गया है। प्रश्नगत निर्णय के चरण संख्या-17 में विवादित प्रश्न के विषय में बृजमोहन लाल के निर्णय के विषयगत निम्नांकित उद्धरण वर्णित किया गया हैः-

> "17- शीर्ष न्यायालय का उपरोक्त निर्देश स्पष्ट रूप से बताता है कि त्वरित न्यायालयों में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी को नियमित रूप से गिना जायेगा। इसके अतिरिक्त याची की नियुक्ति कभी भी कार्यवाहक आधार पर नही थी, किन्तु नियम-1963 एवं योजना 2001 के तहत अंतिम चयन था, इस कारण से शीर्ष न्यायालय ने निचले संवर्ग की सभी परिणामिक रिक्तियों को निचले संवर्ग से भरने का निर्देश दिया था, जिससे त्वरित न्यायालयों में शीघ्रता से पदस्थापन किया जा सके। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जिन व्यक्तिगण को इस योजना के तहत नियुक्तियां दी गई थी, वे समकक्ष राज्य सरकार की न्यायिक सेवाओं को प्राप्त होने वाले समस्त परिलाभों को प्राप्त करने हेतु अधिकारी होंगे। इस तथ्य का राज्य सरकार द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया एवं उडीसा उच्च न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) के संवर्ग से याचीकाकर्ता, एवं समकक्ष अधिकारियों

को उडीसा न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में प्रक्रिया के पालन के उपरांत पदोन्नत किया गया। विपक्षी संख्या-03 एवं 04 उडीसा उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में नियम-05 एवं 08, 1963 के तहत प्रवेशित हुए है, उन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-2495 एवं 2596 दिनांक-13.01.2003 के माध्यम से नियुक्त किया गया है। उक्त अधिसूचना की प्रति रिट याचिका के साथ संलग्न-08 है एवं उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक-22.01.2003 अनुलग्नक-09 है। विपक्षी संख्या-03 एवं 04 द्वारा सेवा संवर्ग में दिनांक-03.02.2003 एवं 07.02.2003 को क्रमानुसार पदभार ग्रहण किया गया है। इसका तात्पर्य है कि वे सेवा संवर्ग उडीसा उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में याची के 10 माह पूर्व के पदोन्नति के उपरांत जन्मित हुए है। इसके उपरांत भी विपक्षी संख्या-03 एवं 04 को चयनित वेतनमान दिनांक-03.02.2008 एवं 07.02.2008 से अधिसूचना संख्या-79 एवं 89 दिनांक-22.02.2008 के माध्यम से प्रदान किया गया है। इस आदेश की प्रति संलग्नक-10 है, जिसके माध्यम से याची की वरियता के दावे को अनदेखा किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि

याची एवं अन्य अधिकारीगण को विपक्षी संख्या-03 एवं 04 द्वारा पदस्थापित किया गया है एवं दूसरी ओर याची को सेवा संवर्ग में पदोन्नति के उपरांत 22.10.2009 की अधिसूचना संख्या-899 के माध्यम से चयनित वेतनमान दिया गया है। इसका आदेश अनुलग्नक-11 है। इस तरीके से याची के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, (त्वरित न्यायालय) की सेवाओं को विधि के सुस्थापित सिद्धांत के विपरीत संज्ञान में नही लिया गया है।"

31. यह विचारण योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि याची का तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (वरिष्ठ शाखा) के रूप में अधिसूचना दिनांक-05.01.2002 के माध्यम से उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति के उपरांत 11 वे वित्त आयोग की अनुशंषा में त्वरित न्यायालय में पदस्थापन को एक नियमित पदस्थापन के रूप में माना जा सकता है। "इस प्रश्न का उत्तर अपील का भविष्य तय करने योग्य है। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो अपील असफल होगी एवं दूसरी ओर अपील सफल होगी यदि उत्तर नकारात्मक है।

32. प्रकरण में यह विवाद नही है कि रिट याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व याची उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में त्वरित न्यायालयों में पदस्थापित होने के आधार पर पदोन्नत किया गया था। याची उच्चतर

न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा का अधिकारी था। हमारे समक्ष यह भी विवाद नही है कि दिनांक-05.01.2002 एवं दिनांक-26.04.2002 को 1963 के नियमों के तहत कोई सेवा संवर्ग पद उपलब्ध नही था। मामले का यह विषय कि 11वें वित्त आयोग के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय के 72 पद प्राप्त हुए थे, जिन्हें वर्ष-2001 के नियमों के तहत भरा जाना था।

33. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में हम यह पाते है कि नियम-1963 के नियम-04 के अनुसार उच्चतर न्यायिक सेवा की दो शाखाऐं थी, (1) उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) एवं (02) उच्चतर न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा), इस सेवा संवर्ग की वरिष्ठ शाखा में भर्ती के दो माध्यम थे, जिन्हें नियम-05 में वर्णित किया गया है-(ए) नियम-08 के प्रावधानो के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से (बी) नियम-09 के प्रावधानो के तहत कनिष्ठ शाखा से पदोन्नति के माध्यम से। नियम-09 (ए) यह उपबंधित करता है कि जब भी सेवा की वरिष्ठ शाखा में रिक्ति उपलब्ध होगी तब उसे पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा। राज्य सरकार उक्त रिक्तियों को उच्च न्यायालय की नियम-09 उपनियम-02 की अनुशंषा के अनुरूप उचित परामर्श के उपरांत भर सकेगी। उच्च न्यायालय इस हेतु कनिष्ठ शाखा के अधिकारीगण की उपयुक्तता के अवधारण के पश्चात अनुशंषा कर सकेगा। यदि राज्य सरकार उच्च न्यायालय की अनुशंषाओं को स्वीकार करने में असफल रहे, इस स्थिति में राज्य सरकार उच्च न्यायालय से

अतिरिक्त अनुशंषाऐं रिक्तियों की भर्ती हेतु मांग सकती है। 1963 का नियम-07 राज्य सरकार को सेवा की वरिष्ठ शाखा में उच्च न्यायालय के परामर्श के उपरांत सीधी भती एवं पदोन्नति के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों को भरने हेतु सशक्त करता है। सेवा सवंर्ग की अधिकतम भर्ती सीमा नियम-04(2) के अनुरूप सीधी भर्ती हेतु सेवा संवर्ग की संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नही होगी। सेवा संवर्ग की वरिष्ठ शाखा में सीधी भर्ती बार के सदस्यों से किया जाना आवश्यक है। नियम-08 सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अर्हता, आरक्षण एवं प्रक्रिया के बारे में प्रावधान उपलब्धित करता है। इस प्रकार विधिक व्यवस्था से यह परिस्थिति स्पष्ट होती है कि जब सेवा संवर्ग की वरिष्ठ शाखा में कोई रिक्ति उपलब्ध होती है, प्रथमतः यह निर्णय किया जाना आवश्यक है कि उक्त रिक्ति को पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिये। इस निर्णय हेतु सीधी भर्ती के अधिकारियों की अधिकतम प्रतिशत सीमा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। यहाॅ नियम-08 प्रक्रिया में प्रकट होता है, यदि परिस्थति के अनुरूप उक्त रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना तय होता है, इस संदर्भ में नियम-09 की पालना किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दो में यदि किसी वरिष्ठ शाखा की रिक्ति को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना है, तब उच्च न्यायालय रिक्तियों के विरूद्ध पदस्थापन हेतु सेवा संवर्ग की कनिष्ठ शाखा के अधिकारीगणो के बारे में उपयुक्त तर्क के विषयगत राय के उपरांत राज्य सरकार को अनुशंषा कर सकता है। यदि राज्य सरकार प्राप्त अनुशंषाओं को

स्वीकार किये जाने हेतु असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार नई अनुशंषाऐं उच्च न्यायालय से प्राप्त करने हेतु सक्षम है। इस प्रकार यदि वरिष्ठ शाखा संवर्ग में यदि कोई रिक्ति नही है तो उसे पदोन्नति के माध्यम से नही भरा जा सकता है, यह एक मूलभूत नियम है।

34. नियम, 1963 द्वारा उडीसा उच्चतर न्यायिक सेवा में कुल पदो को नियत किया गया है। कोई भी तदर्थ अथवा अस्थाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पदो का सृजन इन नियमो के तहत दिनांक-05.02.2002 अथवा 26.04.2002 से पूर्व नही किया गया था। सेवा संवर्ग की वरिष्ठ शाखा में पदो की संख्या वृद्धित नही की गई थी। इस प्रकार सेवा संवर्ग की वरिष्ठ शाखा में पदो के अभाव में किसी प्रकार की कोई पदोन्नति दिया जाना संभव नही था।

35. इस स्तर पर 2001 के नियम एवं योजना को विचारित किया जाना आवश्यक है। 2001 के नियम उडीसा राज्य के न्यायिक अधिकारीगण की भर्ती को नियमित करने के उद्देश्य से 11 वे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पुराने प्रकरणो के निस्तारण एवं न्यायिक प्रशासन के उन्नयन हेतु विरचित किये गये थे, जो कि पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ सेवा के लिये थे। 2001 के नियम 02 में सेवा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार सेवा का तात्पर्य उडीसा राज्य की न्यायिक सेवा है। नियम-03 यह प्रावधान करता है कि 1963 के नियम एवं उडीसा राज्य

न्यायिक सेवा नियम, 1994 में किसी बात के उपबंधित होने के उपरांत भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थाई तौर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु होगी। नियम-04 इस हेतु पुनः यह स्पष्ट करता है कि 2001 के नियम के तहत पदस्थापन पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थाई होगा। यह अतिरिक्त रूप से भी उपबंधित करता है कि प्रारम्भिंक तौर पर नियमो के तहत आरम्भिंक नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिये होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना एवं समय के समाप्त की जा सकती है। 2001 का नियम-05 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की अहर्ता वर्णित करता है। इस योजना के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति चार स्त्रोतो से हो सकती है। प्रथम स्त्रोत सेवारत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिनका का कि तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो। नियम-06 के अनुसार सेवारत न्यायिक अधिकारीगण की तदर्थ नियुक्ति उनके सेवा अभिलेख एवं न्यायिक निर्णयों की जांच के आधार पर किया जावेगा। उक्त चयन वरीयता एवं सहयोग्यता के आधार पर किया जायेगा। नियम-07 के अनुसार कोई भी सेवारत अधिकारी इस पदस्थापन के आधार पर नियमित पदोन्नति का हकदार नही होगा।

36. यथा पूर्व वर्णित तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के 72 पदो का सृजन 2001 के नियमों के तहत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया था। अतिरिक्त रूप से सृजित पद 1963 अथवा 2001 के नियमों के तहत सेवा

संवर्ग की संख्या में सम्मिलित नही थे। सेवा संवर्ग की सदस्य संख्या को इसके माध्यम से वृद्धित नही किया गया था। याची की अधिसूचना दिनांक-05.01.2002 के माध्यम से पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ थी, जिसके माध्यम से चायी द्वारा दिनांक-26.04.2002 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बेरागढ के पद पर पदभार ग्रहण किया गया था, पूर्णतः 2001 के नियमों से नियंत्रित एवं संचालित थी। मात्र याची को नियम 1963 की योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, हम यह नही कह सकते है कि याची को 1963 के नियमों के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई थी। यथा पूर्व वर्णित सेवा संवर्ग में पदोन्नति नियम-1963 के प्रावधानो के तहत वरिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु उक्त तिथि को कोई रिक्ति उपलब्ध नही थी।

37. प्रकरण के तथ्यों के अनुरूप याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गठित कमेटी द्वारा उडीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को निम्नांकित कारण वर्णित कर अभ्यावेदन को निरस्त करने की राय वर्णित की गई थी-

> "श्री दास द्वारा श्री डी. दास से अधिक वरिष्ठता का दावा किया है एवं श्री एस. पुजारी को तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर स्वंय से पूर्व पदस्थापित होना वर्णित किया है। श्री दास एवं श्री पुजारी नियमित सेवा संवर्ग की 44 उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त किये गये थे। जब श्री

दास एवं श्री पुजारी को पदस्थापित किया गया था तब पदोन्नति हेतु संवर्ग में कोई पद उपलब्ध नही था। इस प्रकार कोई सेवा संवर्ग की वास्तविक रिक्ति उपलब्ध नही थी, जिसे पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना था। जब श्री दास सेवा संवर्ग की तात्विक रिक्तियों के विरूद्ध सेवा संवर्ग में जन्मित ही नही हुए है एवं सेवा संवर्ग में कोई रिक्ति श्री दास को समाहित किये जाने हेतु उपलब्ध ही नही थी, उनका वरिष्ठता का दावा किया जाना किसी तरह की कल्पना होने से अनुमत नही है।"

38. समिति द्वारा दी गई राय का आधार यह था कि जब अपीलार्थीगण को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था तब सेवा संवर्ग में किसी प्रकार से कोई रिक्ति पदोन्नति के माध्यम से वरिष्ठ शाखा में भरे जाने योग्य उपलब्ध नही थी। जब कोई रिक्ति ही उपलब्ध ही नही थी, जिससे याचिकाकर्ता को संवर्ग में लाया जा सकता था, तब अपीलार्थीगण पर याची संवर्ग में वरिष्ठता का दावा नही कर सकता है। समिति के उक्त प्रतिवेदन को पूर्ण पीठ द्वारा स्वीकार किया गया था एवं याची के अभ्यावेदन को तदनुरूप निरस्त किया गया था। पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय में कोई कानूनी दोष नही है, जिसे समिति की राय पर अवधारित किया गया है। 1963 का नियम-17 याची के दावे को कोई सहायता प्रदान नही करता है।

39. खण्डपीठ द्वारा दो मौलिक त्रुटियां कारित की गई है, जिनमें से प्रथम याची के दिनांक-05.01.2002 के तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति को वर्ष 1963 के नियमों के अधीन माना जाना है एवं द्वितीय दिनांक-05.01.2002 को उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में रिक्तियों का होना अवधारित किया गया है। खण्डपीठ द्वारा नियम 07, 08, 09 नियमावली 1963 की अनदेखी की है। संदर्भित तिथि को वरिष्ठ शाखा में कोई रिक्ति के उपलब्ध नही होने पर तदर्थ आधार पर प्रासंगिक तिथि को कोई पदोन्नति 1963 के नियमों के तहत प्रदत्त नही की जा सकती है।

40. सीधी भर्ती एवं पदोन्नत अधिकारीगण के मध्य वरिष्ठता के विषय में इस न्यायालय के ध्यान को कई अवसरो पर आकृष्ट किया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री वाई. वी. चन्द्रचूड द्वारा ओ.पी. सिंघला[1] के निर्णय में यह वर्णित किया है कि पदोन्नत एवं प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच वरिष्ठता के विवाद बाबत कई निर्णय है एवं यह एक और होगा। हम यह नही सोचते थे कि कोई भी निर्णय पदोन्नत एवं प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच मुकदमो के संदर्भ में इस विषय पर किसी विवाद को अंतिमतः निस्तारित करेगा। ओ.पी. सिंघल के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिल्ली न्यायिक सेवा के पदोन्नत एवं सीधी भर्ती के अधिकारियो की वरिष्ठता के विषय को विचारित किया था। इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्न को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा, 1970 के प्रकाश में अभिनिर्धारित किया गया था। नियम-02 (घ) में निहित प्रावधानो

को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवेदन के चरण-30 में बहुमत का निर्णय इस प्रकार हैः-

> "21. .....यह नियम यह वर्णित करता है कि सेवा में सदस्यता प्राप्ति हेतु दो शर्तें सह अस्तित्व में होनी चाहिए। प्रथम कि पदस्थापन सेवा संवर्ग की संख्या के अनुसार एवं दूसरा पदस्थापन सेवा में होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सेवा में पद होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति समान पदनाम होने के आधार पर सेवा संवर्ग का स्वमेव सदस्य नही हो सकता है। यह तभी संभव है जब सदस्यो को तात्विक रिक्तियों के विरूद्ध पदस्थापित किया जावे एवं इसके उपरांत ही वे सेवा संवर्ग के सदस्य हो सकते है।"

41. 1963 के नियम 03 (घ), 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 के माध्यम से इस विषयगत कोई असंदिग्धता वर्णित नही की गई है एवं इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में केवल तभी सदस्य हो सकता है, जबकि उसकी नियुक्ति तात्विक उपलब्ध पदो के विरूद्ध की गई हो। यदि पदोन्नति हेतु कोई पद वरिष्ठ शाखा में भरे जाने योग्य उपलब्ध नही होने पर सेवा में पदस्थापन किये जाने का कोई प्रश्न ही उद्भूत नही होता है। सेवा की सदस्यता सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त किये गये व्यक्तिगणो तक की सीमित है।

42. इस न्यायालय की पांच सदस्यी पीठ द्वारा सीधी भर्ती द्वितीय श्रेणी अभियंता अधिकारी संगठन 2 के प्रकरण में सीधी भर्ती एवं पदोन्नत उप अभियंताओं की महाराष्ट्र राज्य में वरियता के प्रश्न को विचारित किया गया था। न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में पूर्व प्रसारित निर्णय एस.बी. पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य[6] एवं बालेश्वर दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[7] में अवधारित स्थिति को चरण-47 में वर्णित किया गया था एवं विधिक स्थिति को अवधारित किया था। चरण-47 के खण्ड ए, बी एवं सी सुसंगत होने से निम्नांकित प्रकार से उद्धरित हैः-

> (ए) एक बार जब किसी पदधारी को नियमों के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता को पदस्थापन की तिथि से संकलित किया जायेगा, सेवा में स्थायीकरण की तिथि से नही। यदि नियुक्ति केवल तदर्थ होती है एवं नियमों के अनुसार नही होती है तथा एक विराम अंतराल व्यवस्था के रूप में बनाया गया है, इस प्रकार के कार्यपालक विचार के लिये पद को ध्यान में नही रखा जाता है।
>
> (बी) यदि प्रारम्भिंक पदस्थापन प्रावधित नियमों को पालित किये बिना किया गया है, किन्तु पदधारी बिना किसी बाधा के नियमितीकरण तक निर्बाध रूप से उक्त पद पर कार्य

करता रहता है, तब नियमो के अनुसार उसकी सेवा अवधि कार्यवाहक सेवा अवधि में संकलित की जावेगी।

(सी) जब पदस्थापन एक से अधिक स्त्रोतो से किया जाता है तब विभिन्न स्त्रोतो से भर्ती अधिकारीगण की वरियता को निर्धारण किये जाने हेतु अनुपात निश्चित किया जा सकता है एवं इस संदर्भ में यदि कोई नियम प्रावधित किये गये है तो उन्हें सख्ती से पालित किया जाना चाहिए।

43. खण्ड (क) के निर्देश का कार्य है कि किसी नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता की गणना पदस्थापन की तिथि से की जानी चाहिए, उसके सेवा में स्थायीकरण की तिथि से नही, यदि पदस्थापन नियमों के अनुरूप किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब प्रारम्भिंक पदस्थापन केवल तदर्थ रूप पर बिना किसी नियम के मात्र विराम अंतराल की व्यवस्था हेतु किया जाता है, उक्त पदो पर कार्यरत अधिकारी की उस अवधि को वरियता निर्धारण हेतु ध्यान में नही रखा जा सकता है। याची का पदस्थापन तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर किया गया था, जो कि 1963 के नियमों के अनुरूप नही था। इस परिणाम का एक मात्र सरल कारण उक्त तिथि को उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में रिक्तियों की पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु अनुपलब्धता है।

44. रूद्र कुमार सैनी[3] के प्रकरण में इस न्यायालय की पांच सदस्यी पीठ द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नत अधिकारीगण, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के मध्य की वरियता के विषय को विचारित किया था। विवाद वस्तु यह थी कि क्या ओ.पी. सिंघला[1] के निर्णय में प्रसारित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है, अथवा नही। न्यायालय द्वारा इस हेतु तीन शब्दावली का उपयोग किया गया है, तदर्थ, विराम अंतराल एवं आकस्मिक का सेवा न्याय शास्त्र के संदर्भ में उपयोग किया गया है एवं प्रतिवेदन का चरण-20 निम्नांकित प्रकार से है-

> "20- सेवा शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जो किसी पद पर पदस्थापन हेतु आवश्यक अहर्ताऐं रखता है एवं जिसे समुचित प्राधिकरण से परामर्श एवं अनुमति के उपरांत नियुक्त किया गया है तथा उस पद पर काफी लम्बे समय तक बना रहता है, तब उस पदस्थापन को आकस्मिक अथवा विराम अंतराल अथवा पूर्णत तदर्थ होना नही माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण से न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के हस्तगत प्रकरण में पदोन्नत अधिकारीगण के पदस्थापन को आकस्मिक/तदर्थ/विराम अंतराल होना पाकर पूर्णतः त्रुटि पूर्ण पाया गया था एवं उक्त अधिकारीगण की निरन्तर दीर्घ अवधि की सेवा को वरिष्ठता निर्धारण हेतु त्रुटिपूर्ण माना था।"

45. खण्डपीठ द्वारा आक्षेपित आदेश में रूद्र कुमार सैनी[3] के निर्णय के उपर्युक्त चरण का उद्दित किया गया है, किन्तु उसका तात्पर्य विधि अनुरूप नही है।

46. बृजमोहन लाल-1[4] के प्रकरण में इस न्यायालय के तीन सदस्य पीठ द्वारा त्वरित न्यायालय योजना को विचारित किया गया है। चरण संख्या-10 में न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्देश प्रसारित किये गये है। निर्देश संख्या-14 प्रकरण के तथ्यों से सुसंगत होने से निम्नांकित प्रकार हैः-

> (1) किसी भी न्यायिक अधिकारी को योजना के तहत तदर्थ रूप से नियुक्त होने पर सेवा में नियमित रूप से उक्त सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति का कोई अधिकार नही होगा।
>
> (2) त्वरित न्यायालयो की सेवा अवधि मूल सेवा संवर्ग की सेवा अवधि में समायोजित की जावेगी।
>
> (3) यदि किसी परिस्थिति में न्यायिक अधिकारीगण को मूल सेवा संवर्ग में उच्च श्रेणी में त्वरित न्यायालयों कार्यपालन के दौरान पदोन्नत किया गया है तो त्वरित न्यायालयो की सेवा अवधि को उच्च श्रेणी की सेवा अवधि में समायोजित किया जावेगा।

47. उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता याची द्वारा निर्देश संख्या-14 के भाग-03 पर स्वंय का प्रकरण अवधारित किया गया है, भाग को आक्षेपित निर्णय में भी स्वीकार किया गया है। याची की ओर से यह वर्णित किया गया है कि उच्चतर न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में पदोन्नति हेतु याची की त्वरित न्यायालयो की सेवा अवधि को संकलित करवाये जाने हेतु याची विधितः अधिकारी है। यह तर्क निर्देश संख्या-14 के अन्य दो भागो की अनदेखी कर वर्णित किया गया है। न्यायिक सेवा के दौरान कोई भी पदोन्नति संबंधी अधिकार किसी भी अधिकारी के तदर्थ नियुक्ति के आधार पर दावाकृत नही किया जा सकता है। योजना के अनुसार त्वरित न्यायालयों की सेवा अवधि को मूल संवर्ग की सेवा अवधि माना जाना चाहिए। इस न्यायालय के मत में जब तक कि उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में कोई रिक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध नही होती है, तब तक याची द्वारा त्वरित न्यायालयों की सेवा अवधि को उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में पदोन्नति हेतु संकलित नही किया जा सकता है। न्यायालय की राय में याची तत्समय मूल सेवा संवर्ग का सदस्य था, जो कि उच्चतर न्यायिक सेवा की कनिष्ठ शाखा है। निर्देश संख्या-14 का भाग-03 न्यायालय के विचार में पढने योग्य नही है, जो कि 1963 के नियमों को अध्यारोही करता है।

48. बृजमोहन लाल-2[5] के प्रकरण में त्वरित न्यायालयो की योजना बंद होने एवं त्वरित न्यायालयों में तदर्थ रूप से सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीशो की नियुक्ति भी विवाद केन्द्र था। इस न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत एक रिट याचिका में यह भी अनुतोष याचित किया गया था कि त्वरित न्यायालयो में तदर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीशो की नियुक्ति हेतु बार के सदस्यों को नियुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा बृजमोहन लाल के प्रकरण के दिशा-निर्देशो को विचारित किया गया। न्यायालय द्वारा बृजमोहन लाल प्रकरण-25 को दृष्टिगत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा त्वरित न्यायालयों के बंद होने की संभावनाओं को दृष्टिगत किया गया था। इस न्यायालय द्वारा बृजमोहन लाल में पारित दिशा-निर्देशो को इस दृष्टि से विचारित किया गया है कि त्वरित न्यायालयों की सेवा अवधि को मूल सेवा संवर्ग में व्यतीत की गई अवधि मानकर संकलित किया जाना चाहिऐ। किसी भी न्यायिक अधिकारी को इस प्रकार की भर्ती अथवा पदोन्नति से कोई विधिक अधिकार नियमित पदोन्नति हेतु प्राप्त नही होगा। सीधी भर्ती अभ्यर्थियों का सेवा में निरन्तर रहना उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण एवं नियमित संवर्ग में पदस्थापन की संभावना उनके प्रदर्शन के संतोषजनक होने पर दिया जा सकता है।

49. बृजमोहन लाल-2[5] के निर्णय में इस न्यायालय ने उडीसा उच्च न्यायिक सेवा की प्रतिवेदन के चरण संख्या-171 को निम्न प्रकार से उद्दधित किया गया है

> " इसी तरह हम इस तर्क में कोई बल नही पाते है कि इस न्यायालय को उडीसा राज्य द्वारा उडीसा उच्चतर न्यायिक

सेवा में भर्ती हेतु जारी विज्ञापन को इस आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए कि नियमित पदोन्नति का याचीगण का आधार उद्भूत हो गया है। 02 नियम समूह न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप से विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लागू किये जाने योग्य है। याचीगण इन पदो पर कोई अधिकार नही रखते है। अतः यह अनुज्ञेय एवं समुचित नही है कि न्यायालय हाजा द्वारा नियमित चयन प्रक्रिया को इस आधार पर रोका जावे कि याचीगण नियमित सेवा संवर्ग में समायोजन का अधिकार रखते है।''

50. तत्समय प्रतिवेदन के चरण संख्या-176 में इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया था कि त्वरित न्यायालयो में न्यायाधीश एक पृथक नियमावली के तहत पदस्थापित किये गये थे, जो कि तुलनात्मक रूप से राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के नियंत्रित नियमो से भिन्न है। यह स्पष्टतः वर्णित किया गया था कि पदस्थापन पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में होगा एवं किसी भी पदस्थापित अधिकारी को कोई लाभ प्राप्त नही होगा।

51. यह न्यायालय पूर्व में भी वर्णित कर चुका है कि दिनांक-05.01.2002 अथवा दिनांक-26.04.2002 को उच्चतर न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने योग्य कोई रिक्ति नही थी। इस

प्रकार की रिक्ति वरिष्ठ शाखा में दिनांक-15.12.2003 में उद्भूत हुई थी एवं उक्त तिथि से याची को त्वरित न्यायालय के सेवाकाल की अवधि के कारण लाभ प्रदत्त किये गये है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का प्रशासनिक निर्णय 1963 के नियम, 2001 के नियम एवं प्रचलित विधिक व्यवस्था के अनुरूप है। खण्डपीठ का इस संदर्भ में निर्णय पूर्णतः असंधारणीय योग्य है तथा प्रश्नगत निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

52. अपील स्वीकार की गई। हर्जा बाबत कोई आदेश नही।

आर.पी.

अपील स्वीकार।

(1) (1984) 4 एससीसी 450

(2) (1990) 2 एससीसी 715

(3) (2000) 8 एससीसी 25

(4) (2002) 5 एससीसी 1

(5) (2012) 6 एससीसी 502

(6) 1977 (3) एससीसी 399

(7) 1980 (4) एससीसी 226

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री हेमराज गौड (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****